

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 231/2012

दायर दिनांक 06.12.2012

		पत्यर्थी
1. जग्गेसिंह पुत्र बक्सुसिंह, आयु-76साल, जाति-राजपूत, निवासी- सागू बड़ी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी-सिवाना, तहसील-सिवाना, जिला-नागौर, बाड़मेर, राजस्थान।	बनाम	1. हिम्मतसिंह पुत्र बगतसिंह, 2. चतरसिंह पुत्र बगतसिंह, समस्त,जाति-राजपूत, निवासी-सागू बड़ी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत इन्द्राज दुरस्ती एवं घोषणा खातेदारी

उपस्थित:-

1. वादी उपस्थित।

--: निर्णय ::-

दिनांक 16.05.2018

वाद का सरांश संक्षिप्त में है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के नाम से शरहद सागू कलौं में खेत 36 रकबा 04.06 बीघा व खसरा नम्बर 116/314 रकबा 11.04 बीघा व खसरा नम्बर 172 रकबा 20.09 बीघा तथा खसरा नम्बर 236 रकबा 18.03 बीघा कुल रकबा 54.02 बीघा अवस्थित है।

उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वक्त फौतगी नामान्तरकरण के वादी का नाम सहवन से, "जगन्नाथसिंह पुत्र बगतसिंह" दर्ज है जबकि वादी के अन्य दस्तावेजातानुसार वादी का सही नाम "जग्गेसिंह पुत्र बक्सुसिंह" है। "जगन्नाथसिंह पुत्र बगतसिंह" नाम का कोई अन्य व्यक्ति यहाँ नहीं है।


सहायक कलक्टर
डीडवाना

राजस्व-अपील, संख्या 231/2012
दायर दिनांक 06.12.2012, निर्णय दिनांक 16.05.2018
जग्गेसिंह बनाम् हिम्मतसिंह, वगैरा।

प्रार्थना वादी है कि,


शरहद सागू कलॉ में खेत 36 रकबा 04.06 बीघा व खसरा नम्बर 116/314 रकबा 11.04 बीघा व खसरा नम्बर 172 रकबा 20.09 बीघा तथा खसरा नम्बर 236 रकबा 18.03 बीघा कुल रकबा 54.02 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम "जगन्नाथसिंह पुत्र बगतसिंह" के स्थान पर "जग्गेसिंह पुत्र बक्सुसिंह" दुरस्त किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी वाद के समर्थन में शपथ-पत्र व जमाबन्दी सम्बत् 2065-2068 खसरा नम्बर 36, 116/314, 172 व 236 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प-केराप में पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी ने वाद को डिक्री किया जाने का निवेदन किया। वाद के सम्बन्ध में, मजमे आम में जानकारी ली गयी। जानकारी में सामने आया कि, वादी "जग्गेसिंह पुत्र बगतसिंह उर्फ बक्सुसिंह" वही व्यक्ति है जो कि वाद वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में "जगन्नाथसिंह पुत्र बगतसिंह" दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

बाद उपर्युक्त प्राप्त जानकारी व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड तथा वादी द्वारा पेश दस्तावेजात् के परिप्रेक्ष्य में वादी का राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज नाम "जगन्नाथसिंह पुत्र बगतसिंह" के स्थान पर


सहायक कलक्टर
बीडवाना


राजस्व-अपील, संख्या 231/2012
दायर दिनांक 06.12.2012, निर्णय दिनांक 16.05.2018
जग्गेसिंह बनाम् हिम्मतसिंह, वगैरा।

“जग्गेसिंह पुत्र बगतसिंह उर्फ बक्सुसिंह ” दुरस्त किया जाना न्यायालय के मत में न्यायोचित प्रतीत होता है।


अतः बाद विवेचन, वादी स्वीकार किया जाकर, डिक्री सादिर किया जाता है।

—:: आदेश ::—

हस्तगत वाद शरहद ग्राम सागूकलौ पटवार हल्का केराप में खसरा नम्बर 36 रकबा 04.06 बीघा, खसरा नम्बर 116/314 रकबा 11.04 बीघा, खसरा नम्बर 172 रकबा 20.09 बीघा व खसरा नम्बर 236 रकबा 18.03 बीघा, के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी का नाम “जगन्नाथसिंह पुत्र बगतसिंह” के स्थान पर “जग्गेसिंह पुत्र बगतसिंह उर्फ बक्सुसिंह” दुरस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-केराप

निर्णय, आज दिनांक 16.05.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-केराप

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
--:: न्याय आपके द्वार, 2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::--
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 231 / 2012

दायर दिनांक 06.12.2012

		प्रत्यर्थी
1. जग्गेसिंह पुत्र बक्सुसिंह, आयु-76साल, जाति-राजपूत, निवासी- सागू बड़ी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, हाल, निवासी-सिवाना, तहसील-सिवाना, जिला-नागौर, बाड़मेर, राजस्थान।	बनाम	1. हिम्मतसिंह पुत्र बगतसिंह, 2. चतरसिंह पुत्र बगतसिंह, समस्त, जाति-राजपूत, निवासी-सागू बड़ी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत इन्द्राज दुरस्ती एवं घोषणा खातेदारी

दिनांक 16.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व
हाजरी मिनजानिव मुददई उपस्थित पक्षकारान् ओर से मददायलह पेश
होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्तगत वाद शरहद ग्राम सागूकलाँ पटवार हल्का केराप
में खसरा नम्बर 36 रकवा 04.06 बीघा, खसरा नम्बर 116/314 रकवा 11.
04 बीघा, खसरा नम्बर 172 रकवा 20.09 बीघा व खसरा नम्बर 236 रकवा
18.03 बीघा, के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी का नाम
"जगन्नाथसिंह पुत्र बगतसिंह" के स्थान पर "जग्गेसिंह पुत्र बगतसिंह उर्फ
बक्सुसिंह" दुरस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
.....-..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-.....
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के
आज की तारीख 16.05.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-केराप

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सीधामा
कोर्ट कैम्प-केराप

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांक:-231-2012 / रीडर / 2018 /
प्रेषित:-

दिनांक 16.05.2018


तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: -निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा बाबत इन्द्राज दुरस्ती एवं घोषणा खातेदारी

		प्रत्यर्थी
1. जग्गेसिंह पुत्र बक्सुसिंह, आयु-76साल, जाति-राजपूत, निवासी- सागू बड़ी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, हाल, निवासी-सिवाना, तहसील-सिवाना, जिला-नागौर, बाड़मेर, राजस्थान।	बनाम	1. हिम्मतसिंह पुत्र बगतसिंह, 2. चतरसिंह पुत्र बगतसिंह, समस्त, जाति-राजपूत, निवासी-सागू बड़ी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।


सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-केराप